UNDERTAKING IN TERMS OF SECTION 6(2) OF PASSPORT ACT, 1967 पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6(2) के अनुसार वचनबंध

I, Shri/Smt/Kum		
(Designation)	(Computer Code No)	1
(Employee I D No.)	of AECS/AEJC	
do hereby undertake as under:-		Chairman LMC/ Principal
में श्री/श्रीमती/कुमारी		
(पदनाम)	(कंप्युटर कोड)	
(कर्मचारी संख्या)	_ प.ऊ.के.वि./प.ऊ.के.म.वि	
निम्नलिखित वचन देता हूं।		
।. I am a citizen of India. / भैं भारत का नागरिक हूं।		

- I will not engage in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India./
 मैं भारत की संप्रभ्ता एवं अखंडता के प्रतिकूल किसी कार्य में लिप्त नहीं होऊंगा।
- III. My departure from India will not be detrimental to the security of India./ मेरा भारत से प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिये अहितकर नहीं होगा।
- IV. My presence outside India will not prejudice the friendly relations of India with any foreign country./ भारत के बाहर मेरी उपस्थिती से किसी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।
- V. I have not at any time during the period of five years immediately preceding the date of my application, been convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment./ मेरे आवेदन पत्र देने की तारीख से तुरंत पांच वर्ष पूर्व की अविध के दौरान किसी भी समय मुझे भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता वाले अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया तथा उसके लिए कैद की सजा नहीं दी गई।
- VI. No proceeding in respect of offence alleged to have been committed by me are pending before any criminal court in India./ भारत में किसी भी दंड न्यायालय में मेरे विरुद्ध मुझ पर आरोपित किसी भी अपराध से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
- VII. No warrant or summons for my appearance or a warrant for my arrest, has been issued by a court under any law for the time being in force or that no order prohibiting my departure from India has been made by any such court./ वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी न्यायालय के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने से संबंधित कोई वारंट या समन या मेरी गिरफतारी के लिए कोई वारंट जारी नहीं हुआ है या किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा भारत से मेरे प्रस्थान पर रोक के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए है।

VIII.	I have not been repatriated. मुझे स्वदेश को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।
IX.	The issue of a passport or travel document to me will not prejudice the public interest. मुझे पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का जारी किया जाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।
	Signature of applicant/ आवेदक के हस्ताक्षर
	Place /म्थान:
	Date/ तारीख: